उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या–H/L3035/सी–5/ 9010 A सं० 44/22 दिनांक 26-6-24

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Submission of compliance report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in order dated 10.04.2024 passed by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in Execution Application No-24 of 2023 in Original Application No. 44 of 2022 in the matter of Saket Girls P.G. College Versus State of Uttar Pradesh & Others.

Sir,

In compliance to the order dated 10.04.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in Execution Application No-24 of 2023 in Original Application No. 44 of 2022 in the matter of Saket Girls P.G. College Versus State of Uttar Pradesh & Others, the compliance report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby attached with a request that the same may be put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
2. Chief Law Officer (Incharge), UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Raebareli.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई-मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

BEFORE

THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO-24/2023

IN

ORIGINAL APPLICATION NO- 44 / 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls P.G. College	Applicant
Versus	
State of Uttar Pradesh & Ors.	Respondent

Compliance Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 10.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Execution Application No-24 of 2023 in Original Application No. 44 of 2022 In the matter of Saket Girls P.G. College Versus State of Uttar Pradesh & Others.

The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 10.04.2024 in Execution Application No-24 of 2023 in Original Application No. 44 of 2022 In the matter of Saket Girls P.G. College Versus State of U.P. & Others has passed

the directions. The relevant excerpt of the said directions are as below:-

"........ 6. In the order dated 23.11.2023, Tribunal had also taken note of the order dated 17.11.2023 imposing environmental compensation of Rs. 85 Lakhs for the period of violation from 15.06.2022 to 30.10.2023 upon the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. Since the amount was not deposited, therefore, it was observed that competent authority was expected to recover the said amount expeditiously.

7. Learned Counsel for the UPPCB submits that the said amount has not been recovered till now.

8. Tribunal had also observed that violation was still continuing, therefore, for the further period of violation necessary action be initiated.

9. Learned Counsel for the UPPCB fairly admits that no action has been initiated till now for subsequent period of violation. Hence, we find that there is clear non-compliance of the order of the Tribunal dated 23.11.2023 by UPPCB also.

10. Learned Counsel for the UPPCB has stated that now expeditious steps for recovery of EC already imposed and for imposition of EC for subsequent violation will be taken within four weeks. Hence,

UPPCB is directed to file the compliance report in this regard at least one week before the next date of hearing, failing which Member Secretary, UPPCB will remain virtually present on the next date of hearing.........”

Compliance Report

1. That in compliance to the Hon'ble Tribunal order dated 10.04.2024, the site of the college in question was inspected by the officials of Regional Office, Uttar Pradesh, Pollution Control Board, Raebareli on 25.05.2024 and during inspection, the situation of the water logging around the college campus was found to be the same as earlier. Also no arrangement has been made by the authority concerned for the drainage of said water logging. A copy of the inspection report dated 25.05.2024 along with photograph is being collectively attached as **Annexure No.-1** to this report.
2. That further in pursuance to the above inspection report dated 25.05.2024, Uttar Pradesh, Pollution Control Board vide letter dated 29.05.2024 has issued a show cause notice for imposition of Environmental Compensation against the responsible authority in question i.e. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Pratapgrah for not setting up adequate facility for

drainage, treatment of sewage effluent with default period from 01.11.2023 to 25.05.2024 in accordance with the Guideline prepared by the CPCB titled as "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" The copy of the letter dated 29.05.2024 is being enclosed herewith as **Annexure No-2** to this report.

3. That further in pursuance to the show cause notice dated 29.05.2024, the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 21.06.2024 has imposed the Environmental Compensation of ₹ 35.0 Lakh (Thirty Five Lakh Only) for not setting up adequate facility for drainage, treatment of sewage effluent with default period from 01.11.2023 to 25.05.2024 against the responsible authority in question i.e. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Pratapgrah in accordance with the Guideline prepared by CPCB titled as "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund". The copy of the letter dated 21.06.2024 is being enclosed herewith as **Annexure No-3** to this report.

4. That in compliance to the Hon'ble Tribunal order dated 23.11.2023 and failure to deposit the amount of the

environmental compensation of ₹ 85.0 Lakh (Eighty Five Lakh Only) by the responsible authority i.e. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Pratapgrah, Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 30.01.2024 and subsequent reminder letter dated 22.05.2024 has requested to the District Magistrate, Pratapgarh for collection/recovery of the said Environmental Compensation. The copy of the letters dated 30.01.2024 and 22.05.2024 are being collectively enclosed herewith as **Annexure No-4** to this report.

Therefore the above compliance report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and kind consideration.

(**Dr. Ram Karan**)
Chief Environmental Officer,
Circle-5, UPPCB

Annexure-1

ग0) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–44/2022 मैसर्स साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Appilcation No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक–10.04.2024 के अनुक्रम में साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–44/2022 मैसर्स साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य तथा तत्सम्बन्ध में योजित Execution Appilcation No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक–10.04.2024 के अनुक्रम में साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–25.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय कालेज प्रतिनिधि के रूप में श्री छोटेलाल गौड (चौकीदार) उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कालेज परिसर के आस–पास जल भराव की स्थिति पूर्ववत पायी गयी। निरीक्षण के समय स्थल पर जल निकासी हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नगर पालिका, प्रतापगढ़ द्वारा अद्यतन नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कालेज परिसर के कई कक्षों व परिसर के आस–पास जल भराव की समस्या यथावत पायी गयी। जल भराव की समस्या के निदान हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा मा0 राष्ट्रीय अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में अद्यतन कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी निरीक्षण के दौरान नहीं पायी गयी। अग्रेतर अवगत हों कि मा0 अधिकरण द्वारा प्रकरण में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–44/2022 में पारित आदेश दिनांक–15.02.2022 एवं तत्सम्बन्ध में योजित Execution Appilcation No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक–07.08.2023 के अनुपालन में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के आदेश संख्या–एच03023/सी–5/सामान्य–527/23 दिनांक–17.11.2023 द्वारा दिनांक–15.06.2022 से 30.10.2023 तक (कुल 17 माह हेतु) रू0–5.0 लाख प्रति ड्रेन/प्रति माह की दर से रू0–85.0 लाख (रू0 पच्चासी लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ के विरूद्ध अधिरोपित की गयी थी। अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के क्रम में अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अभी तक जमा नहीं कराया गया है अधिरोपित क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच4259/सी–5/90/O.A.No-44/24 दिनांक–22.05.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–64/एनजीटी–44/2022/2024–25 दिनांक–25.04.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ को अनुरोध पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। अवगत हों कि प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.04.2024 के पैरा 6 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है–

"............ 6. In the order dated 23.11.2023, Tribunal had also taken note of the order dated 17.11.2023 imposing environmental compensation of Rs. 85 Lakhs for the period of violation from 15.06.2022 to 30.10.2023 upon the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. Since the amount was not deposited, therefore, it was observed that competent authority was expected to recover the said amount expeditiously.

7. Learned Counsel for the UPPCB submits that the said amount has not been recovered till now.

8. Tribunal had also observed that violation was still continuing, therefore, for the further period of violation necessary action be initiated........."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक–25.05.2024 को किये गये निरीक्षण के दौरान जल भराव की स्थिति यथावत पाये जाने के दृष्टिगत अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बढ़ाते हुए दिनांक–01.11.2023 से दिनांक–25.05.2024 तक कुल 07 माह की अवधि हेतु रू0 पांच लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किए जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

27/5/24

(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

310

Latitude: 25.92718
Longitude: 81.979394
Elevation: 114.81±3 m
Accuracy: 9.6 m
Time: 06-19-2024 12:41
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.927176
Longitude: 81.97939
Elevation: 108.81±11 m
Accuracy: 4.8 m
Time: 06-19-2024 12:40
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.927418
Longitude: 81.97928
Elevation: 115.41±9 m
Accuracy: 4.9 m
Time: 06-19-2024 12:39
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.926902
Longitude: 81.979429
Elevation: 115.41±24 m
Accuracy: 9.1 m
Time: 06-19-2024 12:46
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.926984
Longitude: 81.979419
Elevation: 115.41±4 m
Accuracy: 21.0 m
Time: 06-19-2024 12:42
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.927034
Longitude: 81.979338
Elevation: 114.81±2 m
Accuracy: 5.0 m
Time: 06-19-2024 12:41
Note: saket
Powered by NoteCam

311

Latitude: 25.927773
Longitude: 81.979808
Elevation: 108.71±13 m
Accuracy: 30.3 m
Time: 06-19-2024 12:36
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.927819
Longitude: 81.979499
Elevation: 108.81±3 m
Accuracy: 19.5 m
Time: 06-19-2024 12:35
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.926889
Longitude: 81.979532
Elevation: 115.41±15 m
Accuracy: 11.5 m
Time: 06-19-2024 12:44
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.92689
Longitude: 81.979531
Elevation: 115.41±15 m
Accuracy: 8.7 m
Time: 06-19-2024 12:44
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.926875
Longitude: 81.979463
Elevation: 115.41±8 m
Accuracy: 6.1 m
Time: 06-19-2024 12:44
Note: saket
Powered by NoteCam

Latitude: 25.927436
Longitude: 81.979282
Elevation: 108.81±11 m
Accuracy: 8.0 m
Time: 06-19-2024 12:38
Note: saket
Powered by NoteCam

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

UPPCB

LiFE Lifestyle for Environment

Annexure-2

पत्रांक संख्या–H11688/सी–5/सामान्य – 527/24 दिनांक 29/05/2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।
मो० नं०- 9453106693

यह कि साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ के परिसर में हो रहे जल भराव के दृष्टिगत कालेज प्रबन्धन द्वारा पूर्व में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद संख्या–ओ0ए0–44/2022 योजित किया गया था, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–15.02.2022 को आदेश पारित करते हुए जांच हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया तथा संयुक्त समिति को Immediate Remedial Action लेने हेतु आदेशित किया गया था।

यह कि बोर्ड के पत्रांक–एच 03023/सी–5/सामान्य–527/23 दिनांक 17.11.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Aplication No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 15.06.2022 से दिनांक 30.10.2023 (कुल 17 माह हेतु) तक रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से रूपये 85,00,000/– (रूपये पच्चासी लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया, जिसे नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अभी तक जमा नही किया गया है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Aplication No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024, के सुसंगत अंश निम्नवत है–

"…… 6. In the order dated 23.11.2023, Tribunal had also taken note of the order dated 17.11.2023 imposing environmental compensation of Rs. 85 Lakhs for the period of violation from 15.06.2022 to 30.10.2023 upon the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. Since the amount was not deposited, therefore, it was observed that competent authority was expected to recover the said amount expeditiously.
7. Learned Counsel for the UPPCB submits that the said amount has not been recovered till now.
8.Tribunal had also observed that violation was still continuing, therefore, for the further period of violation necessary action be initiated.
9. Learned Counsel for the UPPCB fairly admits that no action has been initiated till now for subsequent period of violation. Hence, we find that there is clear non-compliance of the order of the Tribunal dated 23.11.2023 by UPPCB also……"

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कालेज परिसर के आस–पास जल भराव की स्थिति यथावत् पायी गयी। निरीक्षण के समय स्थल पर जल निकासी हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नगर पालिका, प्रतापगढ़ द्वारा नही की गयी है। निरीक्षण के समय कालेज परिसर के कई कक्षो व परिसर के आस–पास जल भराव की समस्या यथावत पायी गयी।

यह कि उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या–122/एन.जी.टी.–44/2022/2024–25 दिनांक 27.05.2024 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 25.05.2024 तक (कुल 07 माह हेतु) रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

...2

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–44/2022 साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Aplication No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 25.05.2024 (कुल 07 माह हेतु) तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से कुल रूपये 35,00,000/– (रूपये पैतिस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

क्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्लू.एम.डी.), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

Annexure-3

पत्रांक संख्या– H12883/सी–5/ सामा – 527/2024 **दिनांक** 21/06/24

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

M 9453106693

यह कि साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ के परिसर में हो रहे जल भराव के दृष्टिगत कालेज प्रबन्धन द्वारा पूर्व में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद संख्या–ओ0ए0–44/2022 योजित किया गया था, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 15.02.2022 को आदेश पारित करते हुए जांच हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया तथा संयुक्त समिति को Immediate Remedial Action लेने हेतु आदेशित किया गया था।

यह कि बोर्ड के पत्रांक–एच 03023/सी–5/सामान्य–527/23 दिनांक 17.11.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Aplication No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 15.06.2022 से दिनांक 30.10.2023 (कुल 17 माह हेतु) तक रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से रूपये 85,00,000/– (रूपये पच्चासी लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया, जिसे नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अभी तक जमा नही किया गया है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Aplication No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024, के सुसंगत अंश निम्नवत है–

"……. 6. In the order dated 23.11.2023, Tribunal had also taken note of the order dated 17.11.2023 imposing environmental compensation of Rs. 85 Lakhs for the period of violation from 15.06.2022 to 30.10.2023 upon the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. Since the amount was not deposited, therefore, it was observed that competent authority was expected to recover the said amount expeditiously.
7. Learned Counsel for the UPPCB submits that the said amount has not been recovered till now.
8.Tribunal had also observed that violation was still continuing, therefore, for the further period of violation necessary action be initiated.
9. Learned Counsel for the UPPCB fairly admits that no action has been initiated till now for subsequent period of violation. Hence, we find that there is clear non-compliance of the order of the Tribunal dated 23.11.2023 by UPPCB also……"

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कालेज परिसर के आस–पास जल भराव की स्थिति यथावत् पायी गयी। निरीक्षण के समय स्थल पर जल निकासी हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नगर पालिका, प्रतापगढ़ द्वारा नही किये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 11688/सी–5/सामान्य–527/24 दिनांक 29.05.2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 25.05.2024 (कुल 07 माह हेतु) तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से कुल रूपये 35,00,000/– (रूपये पैतिस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बोर्ड द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस के कम में नगर पालिका परिषद, बेल्हा, प्रतापगढ़ द्वारा अपना प्रतिउत्तर ई–मेल के द्वारा प्रेषित किया गया कि नगर पालिका परिषद की वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है एवं उसके कर्मचारियों के वेतन आदि देय के भुगतान में कठिनाई हो रही है। कतिपय सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों का भुगतान की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में प्रचलित है। जल निकासी हेतु नाला निर्माण के कार्य हेतु धनराशित रू0 4.99 लाख स्वीकृत है, जिसे आर्दश आचार संहिता (एम.सी.सी.) के दृष्टिगत नही किया जा सका। जल निकासी के नाला निर्माण में विलम्ब हेतु नगर पालिका परिषद उत्तरदायी नही है। सीवर सेक्शन के माध्यम जल निकासी का कार्य कराया जा रहा है।

...2

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय जल भराव की स्थिति यथावत पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद का प्रतिउत्तर संतोषजनक नही है।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या–177/एन.जी.टी.–44/2022/2024–25 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.05.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.05.2024 की पुष्टि की जाती हैः–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–44/2022 साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Aplication No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 25.05.2024 (कुल 07 माह हेतु) तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से कुल रूपये 35,00,000/– (रूपये पैतिस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ के समीप स्थित ड्रेन के सीवेज हेतु शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित होने तक अग्रेतर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 35,00,000/– (रूपये पैतिस लाख मात्र) का भुगतान जिसका payment gateway (URL: https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown मे निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1-	Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति–	Water Pollution
2-	Regional offices/क्षेत्रीय कार्यालय–	Raebareli
3-	EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया–	NGT order

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

क्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्लू.एम.डी.), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को जारी निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-4

पत्रांक संख्या–H06264/सी–5/सामान्य-527/24

दिनांक 30/01/24

To,

The Collector,
District-Pratapgarh.

Sub:Regarding collection/recovery of Environmental Compensation imposed against Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh.

Please refer to the Hon'ble NGT order dated 07.08.2023 in O.A. No. 44/2022, in the matter of Saket Girls PG College versus State of Utttar Pradesh & Ors. The relevant excerpt of the aforesaid order is as follows-

.......10. In the meantime, State PCB is directed to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the open land or the waterbody and in case of any violation, environmental compensation must be assessed and realized in accordance with the parameters laid down by NGT and CPCB in addition to punitive legal actions in accordance with law.

In compliance of the above Hon'ble NGT order, Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 17.11.2023 has imposed the Environmental Compensation of ₹. 85,00,000/- against the responsible Project Proponent i.e. Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh for a default period of 15.06.2022 to 30.10.2023 that there was an incomplete drain left open by them in front of the College and waterlogging in the said drain was causing serious health hazards to the students and untreated water of the drain was released in the Sai River as there was no STP to treat the same. As per the office record, the amount of the Environmental Compensation has not deposited by the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh till date. Copy of the letter dated 17.11.2023 same is attached herewith.

Further Hon'ble NGT vide order dated 23.11.2023 in subjected O.A. has also passed directions. The relevant excerpt of the aforesaid direction is as follows-

.......5. Along with the additional action taken report dated 21.11.2023, the UPPCB has enclosed the order dated 17.11.2023 imposing environmental compensation of Rs. 85 lakhs for the period of violation from 15.06.2022 to 30.10.2023 upon the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. It has been pointed that the said amount has not been deposited till now, therefore, the competent authority is expected to recover the said amount expeditiously in accordance with law. Since the violation is still continuing, therefore, for the further period of violation, let the necessary action be initiated. ......

The sum of ₹. 85,00,000/- (Rupees Eighty Five Lakh only) is payable in account of Environment Compensation from Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh.

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned unit is as follows:

1. **Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh.**

In compliance of the Hon'ble NGT order dated 23.11.2023, you are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the **U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code- UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhav Khand, Gomati Nagar, Lucknow**.

Enclosure-As above.

Yours Sincerely,

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Copy to:-Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Raebareli for information and necessary action .

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या–H11259/सी–5/90/OA N. 44/24 दिनांक 22-5-24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution application No. 24/2023 in OA no. 44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्रांक–एच 06264 / सी–5 / सामान्य–527 / 24 दिनांक 30.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्रांक–63 / एन.जी.टी.–44 / 2022 / 2024–25 दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित OA no. 44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Application No. 24/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गैलाघाट, प्रतापगढ़ में हो रहे जल भराव एवं उसके रोकथाम हेतु नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 03023 / सी–5 / सामान्य–527 / 23 दिनांक 17.11.2023 द्वारा रूपये 85,00,000 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित की गयी थी। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राज्य बोर्ड में अभी तक जमा नही कराई गयी है।

अग्रेतर अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 में प्रकरण में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शीघ्र जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त पारित आदेश के पैरा–6 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..........6. In the order dated 23.11.2023, Tribunal had also taken note of the order dated 17.11.2023 imposing environmental compensation of Rs. 85 Lakhs for the period of violation from 15.06.2022 to 30.10.2023 upon the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. Since the amount was not deposited, therefore, it was observed that competent authority was expected to recover the said amount expeditiously........."

प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई तिथि 01.07.2024 नियत है।

अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 85,00,000 / – (रूपये पच्चासी लाख) को राज्य बोर्ड के खाता संख्या–701502010002104, **IFSC-UBIN0570150**, Union Bank of India, Vibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow में जमा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com